



न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला-राजसमन्द

प्रकरण : संख्या - 152/17 शीर्षक ..... सामक ..... बनाम रहेराज ठाकुर  
647

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
--------	------------------	-------------------------

22/5/18 पञ्जाबी राजा लोव डोडाल  
कोर्ट केम्प न्याय कार्यालय हाथगाँव के  
वहन केम्प साड़ी पर रखी गयी।  
पञ्जाब उच्च/पञ्जाबी के उपलब्ध  
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया  
से जाहिर हुआ कि फरार भाई  
की अधिक पुराना सेटल वास्तु  
इसरायीपार के लम्बे में कोई विकास  
हवा रिपोर्ट उत्पन्न होना प्रतीत नहीं  
होता है ऐसी स्थिति में उक्त कार्यना  
पत्र में कोई कार्यवाही अथ नहीं  
रखी है उक्त प्रतीति का प्रतीति  
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RMA का  
अस्वीकार किया जाता है पञ्जाबी  
केवल शुमार होकर नमक है  
काम कि लम्बे मूल्य के साथ  
लम्बे कि लम्बे।

21/6  
सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा